संख्या 4-5/2015-बीपी-2 (अन्नपूर्णा)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 23 मार्च. 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय को वर्ष 2015-16 के लिए अक्टूबर , 2015 से मार्च , 2016 की अवधि तक 28611.78 टन खाद्यान्नों के आवंटन (गेहूं और चावल) के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के समसंखयक आवंटन आदेश दिनांक 12.08.2015, 28.09.2015, 16.11.2015 और 01.02.2016 के अनुक्रम व ग्रामीण विकास मंत्रालय के का0 ज्ञा0 संख्या जे-11019/1/2015-16-एनएसएपी दिनांक 14 मार्च , 2016 के अनुसरण में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर वर्ष 2015-16 के लिए अक्टूबर , 2015 से मार्च , 2016 की अवधि तक 28611.78 टन खाद्यान्न जिसमे 22614.18 टन चावल और 5997.60 टन गेहूं का अनुमोदन संप्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

2. खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान की वैधता अवधि 15.04.2016 तक होगी।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार को खाद्यान्न की आबंटित मात्रा की सूचना यथासमय प्रेषित करे तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वैधता अवधि के भीतर खाद्यान्नों का उठान सुनिश्चित करे।

4. भारतीय खाद्य निगम, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2015-16 के द्वितीय छमाही लिए मासिक आबंटन के अनुसार राज्य-वार को चावल और गेहूं जारी करेगा।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय से यह भी अनुरोध है कि वह अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित खाद्यान्नों के संबंध में समेकित उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप जीएफआर-19 ए मे, संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत करें।

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिशचित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्य को जारी खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान किया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा उसे यथा समय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाए।

असित

(असित हलदर)

अवर सचिव, अवर सचिव

दूरभाष: 23382504

सेवा में,

उप सचिव (एन.एस.ए.पी)

(श्रीमति रेखा चौहान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, कमरा नंबर 701 ए ,

ब्लॉक संख्या 11, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-3

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।
2. महा प्रबन्धक (बिक्री). भारतीय खाद्य निगम, 16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव(बीपी-I &III), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ।
4. अनुभाग अधिकारी (बीपी-I), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग।